कलमा शहादत का अर्थ

معنى

شهادة أن لا إله إلا الله

الشيخ عبدالكريم الديوان

ترجمة: عتيق الرحمن الأثري

The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Naseem Area
Riyadh - Al-Manar Area / Front of O.P.D. of Al-Yamamah Hospital
Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment and
Call and Guidance - Riyadh - Naseem
Tel. & Fax 01-2328226 - P.O. Box 51584 Riyadh 11553

الهندية
٣١

تم بعون الله وتوفيقه ترجمة وأصدار هذا الكتاب
بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحـي الروضــــة

تحت اشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد

الرياض ١١٦٤٢ ص.ب ٨٧٢٩٩
هاتف ٤٩١٨٠٥١ فاكس ٤٩٧٠٥٦١

يسمح بطبع هذا الكتاب واصدارتنا الأخرى بشرط
عدم التصرف في أي شيء ما عدا الغلاف الخارجي.

حقوق الطبع ميسره لكل مسلم

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد (الروضة)، ١٤١٧هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الديوان ، عبدالكريم
معنى لا إله إلا الله/ ترجمة عتيق الرحمن الأثري - الرياض.
٣٢ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك ١ - ٥ - ٩١٢٠ - ٩٩٦٠
(النص باللغة الهندية)
١ . التوحيد ٢ . الشهادة (أركان الإسلام)
أ. الأثري ، عتيق الرحمن (مترجم) ب. العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٧/١٥٣٢

رقم الايداع : ١٧/١٥٣٢
ردمك: ١ - ٥ - ٩١٢٠ - ٩٩٦٠

معنى شهادة ان لا اله الا الله

(الهندية)

कलमा शहादत का अर्थ

الشيخ عبد الكريم الديوان

(امام و خطيب ،جامع الزبير بن العوام، حي النهضة)

ترجمة : عتيق الرحمن الأثري

ناشر المكتب التعاوني للدعوة و الارشاد و توعية الجاليات، حي الروضة،الرياض

راجع النص العربي

فضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الحمد لله وحده

وبعد فقد اطلعت على هذه الأوراق في معنى لا إله إلا الله وشروطها وما تستلزمه

وهى صحيحه موافقة للأدلة ولتفسير العلماء المعتبرين

قاله وكتبه عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والأفتاء .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله وحده

وبعد فقد [illegible]

[illegible]

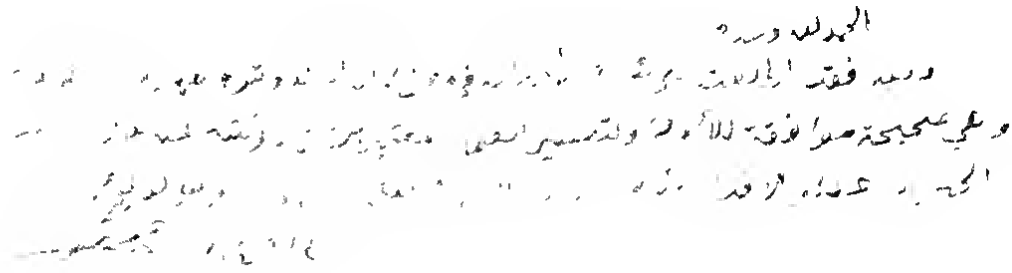

कलमा का अर्थ

समस्त मुसलमानों का इस पर इत्तिफाक़ है कि इसलाम धर्म की जड़ तथ मख्लूक़ पर लागू होने वाली सर्वप्रथम कर्तव्य इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, और मुहम्मद स० अल्लाह के रसूल (दूत) हैं.

इसी कलमा को पढ़कर काफिर मुसलमान बनता है. एवं इसलाम का कट्टर शत्रु अपने [illegible] ऐसा परिवर्तन लाता है कि उसकी दुश्मनी [illegible] में बदल जाती है. और धन, प्राण को सुरक्ष[illegible] अधिकार मिल जाता है. अतः एक काफिर [illegible] तक अपनी ज़बान से यह कलमा नहीं पढ़े[illegible]गा वह मुसलमान नहीं कहलायेगा, क्योंकि यही इसलाम धर्म की कुंजी तथा प्रथम स्तंभ है.

जैसा कि निम्नि हदीस से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है :

«بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» (أخرجه الشيخان)

इसलाम की बुन्याद पाँच स्तंभों पर स्थापित है, प्रथम इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, तथा मुहम्मद स० अल्लाह के रसूल (दूत) हैं, (बुख़ारी, मुसलिम)

शक्ति के बावजूद कलमा न पढ़ना

इसलाम धर्म के महान विद्वान इमाम इब्न तैमिया रहि० का कथन है कि जो मनुष्य शक्ति रखते हुये कलमा नहीं पढ़ेगा वह सारे मुलमानों के दृष्टि में काफ़िर है, यदि वह किसी उचित कारण से विवश है तो उस की हालत के अनुसार उस पर हुक्म लागू होगा।

ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ

कलमा लाइलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा वाक्य है जिस में निषेध एंव इक़रार दो चीज़ें पाई जाती हैं. इसके प्रथम भाग लाइलाह में निषेध है तथा द्वतीय भाग इल्लल्लाह में इक़रार है, तो इस प्रकार इस का अर्थ यह हुआ कि ईश्वर के इलावा कोई भी सत्यतः उपासना योग्य नहीं.

कुछ मूर्खजनों का विचार है कि कलमा लाइलाह इल्लल्लाह का अर्थ केवल यह है कि इसे ज़ुबान से पढ़ लिया जाये, या अल्लाह के वुजूद को मान लिया जाये, या संसार की समस्त चीज़ों पर बिना किसी भागीदारी के उसकी शासन को कबूल कर लिया जाये. किन्तु यह विचार व्यर्थ और निन्दनीय है.

क्योंकि अगर कलमा का अर्थ यह होता तो अहले किताब (यहूदी, ईसाई) तथा बुत और मूर्तियों के पूजा करने वालों को तौहीद (एकेश्वरवाद) की ओर निमंत्रण देने की ज़रूरत और अवश्यकता ही क्या थी जबकि यह लोग भी इतनी बातों पर विश्वास रखते थे.

संदेह तथा उत्तर

कुछ लोग यह शंका करते हैं कि कलमह लाइलाहा इल्लल्लाह का उपरोक्त अर्थ कैसे दुरुस्त और सही हो सकता है जबकि अल्लाह के अतिरिक्त बहुत सारी वस्तुएँ है जिन की पूजा की जाती है, और स्वंय ईश्वर ने पवित्र क़ुरआन में इन के लिये "आलिहा" अर्थात ईश्वरों का शब्द प्रयोग किया है, जैसा कि अल्लाह पाक क़ुरआन में इरशाद फरमाता है:

जब तुम्हारे रब का अज़ाब आगया तो इनके वह उपास्य कुछ काम न आये जिन को यह अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते थे- सूरह हूद :(१०१)

فما أغنت عنهم آلهتهم
التي يدعون من دون
الله من شيئ لما جاء
أمر ربك. (هود: ١٠١)

तो इस संदेह का उत्तर यह है कि यह उपास्य असत्य और निन्दनीय हैं, यह किसी भी प्रकार उपासना योग्य नहीं हैं, और इस का प्रमाण पवित्र कुरआन की निम्न शुभ आयत है, यह इसलिये कि अल्लाह ही सत्य है और उस के अतिरिक्त समस्त चीज़े जिनको वह पूजते हैं गलत हैं और अल्लाह बुलन्द तथा बड़ाई वाला है- सूरह हज :(६२)

ذلك بأن الله هو الحق
وأن ما يدعون من دونه
هو الباطل وأن الله هو
العلي الكبير. سورة الحج

इस वार्ता से यह बात निखर कर सामने आगई कि कलमा तौहीद का शुद्ध अर्थ यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं, और इसी का नाम तौहीद है, और उपरोक्त संदेह व्यर्थ एंव गलत है-

उपासनाओं की स्वीकारता तथा शुद्धता कलमा शहादत पर आधारित है.

मनुष्य का कोई कार्य अथवा उपासना अल्लाह के निकट उस समय तक स्वीकारनीय नहीं है जब तक कि वह तौहीद (एकेश्वरवाद) को न अपनाले, अर्थात वह इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं. यदि वह एकेश्वरवाद से दूर है तो उसकी सारी उपासनाऐं नष्ट और बेकार होंगी-

क्योंकि शिर्क जो एकेश्वरवाद का विलोम है इसके संघ में कोई इबादत (उपासना) लाभदायक नहीं, चुनाँचि अल्लाह पवित्र क़ुआन में इरशाद फरमाता है:

ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون۔ توبة ١٦:

अल्लाह के साथ भागीदार बनाने वालों का यह काम नहीं कि वह मसजिदों को बसायें जबकि यह अपने ऊपर कुफ्र के गवाह हैं इनकी उपासनायें अकारत हैं और इन्हें सदैव जहन्नम (नरक) में रहना है - (सूरह तौबा : १६)

कलमा शहादत की दुरुस्तगी के लिये निम्न चीज़ें अनिवार्य हैं

यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या

केवल ज़ुबान से कलमा पढ़ लेना लाभ देगा या इसके लिये अन्य चीज़ो की भी ज़रूरत है ? तो इस विषय में कुछ मनुष्यों का विचार है कि केवल कलमा पढ़ लेना काफ़ी है और किसी चीज़ की अवश्यकता नहीं है, किन्तु यह सोच गलत और उनकी मूर्खता का दृढ़ प्रमाड़ है, क्योंकि कलमा शहादत केवल एक वाक्य नहीं जिसको ज़ुबान से कह लिया जाये बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है जिसका पाया जाना भी अति अनिवार्य है-

इसलिये कोई व्यक्ति वास्तिवक मुसलिम उस समय तक नहीं होगा जबतक कि वह उसे अर्थ, हृदय से स्वीकार कर के अपना प्रत्येक कार्य इसके अनुसार न करने लगे और इसके विपरीत तमाम कामों से दूर रहे-

यदि किसी मनुष्य ने कलमा पढ़ लिया मगर उसके अर्थ का उसे ज्ञान नहीं और न उस के कार्य इसके अनुकूल हैं तो उसका कलमा पढ़ना किसी भी प्रकार लाभदायक नहीं, इस आधार पर कलमा शहादत की दुरुस्तगी के लिये निम्नलिखित छे-चीज़ें अनिवार्य हैं-

१- सारी उपासनाऐं केवल अल्लाह के लिये की जायें, अर्थात मनुष्य की नमाज़, रोज़ा, दुआ फरयाद, नज़र, मन्नत, भेंट, कुर्बानी और शेष उपासनाऐं केवल अल्लाह के लिये हैं, इनका एक मामूली भाग भी अल्लाह के अतिरिक्त किसी सृष्टि के लिये कदापि न हो चाहे वह कितने ही ऊँचे पद पर क्यों न हो, यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसकी नमाज़ बेकार होजायेगी और वह एकेश्वरवाद के मार्ग से हट

कर अल्लाह के साथ भागीदार बनाने वाला हो जायेगा, चुनाँचे अल्लाह पवित्र कुआन पाक में इरशाद फरमाता है:

और तुम्हारे रब आदेश दिया कि तुम लोग केवल उसी की उपासना करो. इसरा: २३

وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه
الاسراء : ٢٣

और यही लाइलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है - और सम्पूर्ण आलिमों का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि जो मनुष्य कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह के साथ भागीदार बनाता है वह काफिर है, उस से युद्ध की जायेगी यहाँ तक कि वह शिर्क को छोड़कर तौहीद (एकेश्वरवाद) के मार्ग पर क़ायम होजाये -

२- अल्लाह और रसूल (दूत) की सूचना दी हुई समस्त बातों पर पूर्ण विश्वास रखना,

अर्थात किसी व्यक्ति का कलमा शहादत पढ़ना उस समय तक सिद्ध नही होगा जब तक कि वह स्वर्ग, नरक, आसमानी पुस्तकों रसूलों, अन्तिम दिन और अच्छी बुरी तक़दीर के सम्बंध में अपना विश्वास दृढ़ न करले-

३- अल्लाह के अतिरिक्त जिन जिनवस्तुओं अथवा व्यक्तियों की पूजा की जाती है उन की भक्ति तथा उपासना का इनकार करना जैसा कि मुसलिम शरीफ की हदीस है कि प्यारे नबी स० ने फरमाया है:

من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله

أخرجه مسلم

जिस व्यक्ति ने कलमा लाइलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तथा उन तमाम चीज़ो का इनकार किया जिनकी अल्लाह के अतिरिक्त

पूजा की जाती है तो उसका धन एवं रक्त सुरक्षित हो गये, और उसका हिसाब किताब अल्लाह को समर्पित है-

इस हदीस में प्यारे नबी स० ने धन एवं रक्त की रक्षा को दो चीज़ों पर आधारित किया है, पहली चीज़ कलमा लाइलाहा इल्ल अल्लाह का पढ़ना, और दूसरी चीज़ यह कि अल्लाह के अतिरिक्त तमाम चीज़ों की उपासना का इनकार करना, इसलिये वही व्यक्ति वास्तविक मुसलमान है जो अल्लाह के साथ भागीदार बनाने वालों से पूर्ण रूप से बाईकाट करके उनकी उपासनाओं का निषेध करे, जिस प्रकार हज़रत इब्राहीम अलै० ने मूर्तिपूजकों एवं उनकी उपासनाओं से बिल्कुल अलग थलग होकर स्पष्ट शब्दों में कहा था

إنني براء مما تعبدون
إلا الذي فطرني.
الزخرف: ٢٦، ٢٧.

मेरा तुम्हारे उपास्यों
से कोई सम्बंध नहीं
मेरा सम्बंध केवल उस
हस्ती से है जिस ने मुझे जन्म दिया है।
और इसी अर्थ का उल्लेख निम्न आयत में
भी हुआ है:

فمن يكفر بالطاغوت
ويؤمن بالله فقد
استمسك بالعروة الوثقى.
البقرة: ٢٥٦.

जिसने तागूत का इनकार
किया तथा केवल अल्लाह
पर विश्वास रखा तो उस
ने दृढ़ सहारा थाम लिया।

आयत में मजबूत सहारा से मुराद इस्लाम धर्म है, और "तागूत" के इनकार से मुराद उन तमाम चीज़ों की उपासना का इनकार करना और उस से दूर रहना है। जिनकी अल्लाह के अतिरिक्त पूजा की जाती है। और "तागूत" से

मुराद वह तमाम चीज़े हैं जिनकी अल्लाह के अतिरिक्त उपासना की जाती है- किन्त अल्लाह के प्रभज्ञानी, बुज़ुरगाने दीन, तथा फरिश्तों के तागूत नहीं कहा जायेगा क्योंकि यह लोग इस बात से कदापि प्रसन्न न थे कि इन की उपासना की जाये, बल्कि ऐसा शैतान के बहकाने से हुआ-

४- कलमा लाइलाहा इल्लल्लाह के अनुसार अल्लाह तथा रसूल के आदेशों का पालन करना जैसा कि पवित्र कुरआन में अल्लाह फरमाता है

फإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - التوبة: ٥ -

यदि वह तौबा कर के नमाज़ पढ़ने लगें और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो- तौबा: ५

और इसी बात का उल्लेख कुछ अधिक स्पष्ट

रूप से निम्न हदीस में भी हुआ है- जैसा कि नबी स० ने इरशाद फरमाया है:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. أخرجه الشيخان.

मुझे अल्लाह का आदेश है कि लोगों से युद्ध करूँ यहाँ तक कि वह इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं तथा मुहम्मद स० अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ पढ़ने लगें एवं ज़कात देने लगें, यदि उन्हों ने इन कामों को कर लिया तो अब उनके धन, प्राण मेरी ओर से सुरक्षित हो गये, मगर उस हालत में नहीं जब यह कोई दंडनीय अपराध करें. और

इनका हिसाब अल्लाह को समर्पित है-
(बुख़ारी व मुसलिम)

और उपोक्त आयत का अर्थ यह है कि अगर वे लोग शिर्क शिर्क को छोड़ कर नमाज़ पढ़ने लगें तथा ज़कात देने लगें तो अब उनकी राह को छोड़ दो अर्थात उनसे छेड़ छाड़ न करो-

शैखुलइस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहि० फरमाते हैं: «जो मनुष्य इसलाम के सिद्ध निस्सन्देह आदेशों और शिक्षाओं से मुँह मोड़ते हैं उनसे युद्धि करना अति अनिवार्य है, यहाँ तक कि वे इसलाम की शिक्षाओं के पाबन्द होजायें-चाहे वे कलमा पढ़ने वाले और इसलाम की कुछ बातों पर अमल करने वाले हों क्यों न हों- जिस प्रकार हज़रत अबूबक्र रज़ि० तथा दूसरे सहाबा रज़ि०ने

ज़कात न देने वालों से लड़ाई की थी, और फिर इसी निर्णय पर तमाम इमामों व आलिमों का इत्तिफ़ाक़ हो गया - (तैसीरुल अज़ीज़ुल हमीद)

५- कलमा शहादत के दुरुस्त होने के लिये अवश्यक है कि कलमा पढ़ने वाले के भीतर निम्नलिखित सात बातें पाई जायें

१- ज्ञान : अर्थात कलमा पढ़ने वाले को इस बात का पूर्ण ज्ञान हो कि अल्लाह के सिवा कोई उपासना योग्या नहीं।

२- विश्वास : अर्थात उसका दृढ़ विश्वास हो कि अल्लाह ही सत्य उपास्य है, इस में उसे कोई शंका एवं सन्देह बिल्कुल न हो -

३- इख़्लास : अर्थात वह अपनी समस्त उपासनाएँ [illegible] अल्लाह की प्रसन्नता

प्राप्त करने के लिये करे, इसका एक अंश भी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिये न हो.

४- सत्यता: अर्थात वह हृदय की सत्यता के साथ कलमा पढ़े, जो जुबान से कहे वह दिल में हो ऐसा न हो कि जुबान पर कलमा लाइलाहा इल्लल्लाह हो और हृदय में उसका कोई प्रभाव न हो अगर ऐसी बात है तो वह शेष मुनाफिकों के प्रकार गैर मुसलिम और काफिर होगा, उसकी गवाही विफल होगी-

५- ईशप्रेम: अर्थात वह कलमा पढ़ने के पश्चात अल्लाह से प्रेम करे, अगर कलमा पढ़ लिया और उसके हृदय में ईशप्रेम न हो तो ऐसा व्यक्ति काफिर हो

होगा, उसे मुसलमान नहीं कहा जायेगा -

६- आज्ञापालन : अर्थात वह केवल अल्लाह की उपासना करे तथा वह अल्लाह के दीन का पाबन्द हो और इस की सत्यता पर उसे पूर्ण विश्वास हो. जो मनुष्य इस से मुँह मोड़ेगा वह इबलीस और उसके चेलों की तरह काफिर होगा -

७- स्वीकारता : अर्थात वह कलमा शहादत के अर्थ को इस प्रकार स्वीकार करे कि अपनी सारी उपासनायें अल्लाह को समर्पित करदे तथा बातिल उपास्यों को ग़लत समझते हुए इन से बिलकुल दूर रहे -

८- शहादत की दुरुस्तगी के यह भी बहुत अनिवार्य है कि इस के विपरीत तमाम कामों से दूर रहा जाये और वह निम्न हैं :

१- अपने तथा अल्लाह के बीच वास्ते और सिफारशी बनाना- इन को सहायता के लिये पुकारना, इनसे सिफारिश की आशा करना, और इनपर भरोसा करना, यदि किसी ने कलमा पढ़ने के बाद ऐसा किया तो वह निस्संकोच काफ़िर होगा-

२- मुशरिकों को काफ़िर न समझना या उनके काफिर होने में शंका करना अथवा उनके आहवान को दुरुस्त समझना, ऐसा करने वाला कलमा पढ़ने के बावजूद काफ़िर होगा-

३- यह आहवान रखना कि प्यारे नबी स० के जीवन व्यतीत करने के तरीके से किसी और व्यक्ति [illegible] का [illegible] उत्तम है, अथवा आप के शासन [illegible] से किसी और [illegible]

तरीक़ा बढ़कर है जैसे तागूती और शैतानी शासन को आप की शासन पर बढ़ावा देना।
४- प्यारे नबी स० की लाई हुई शरीअत में से किसी बात से घृणा करना, इस काम के करने से मनुष्य इसलाम के दायरे से बाहर निकल जाता है चाहे वह उस बात पर अमल ही क्यों न करता हो।
५- अल्लाह और रसूल के दीन में से किसी चीज़ का या जज़ा सज़ा के नियम का उपहास करना, ऐसा करने वाला काफिर है और उस की गवाही विफल है।
६- मुसलमानों के विरुद्ध मुशरिकों का सहयोग देना।
७- यह आहवान रखना कि कुछ विशेष लोग इसलाम धर्म के शास्त्र एवं आदेश

की पाबन्दी से स्वतन्त्र हैं

८- अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ना न उस की शिक्षा प्राप्त करना और न इस पर अमल करना-

९- अल्लाह के धर्म में से किसी बात को झुटलाना-

१०- अल्लाह और रसूल की ओर से जो काम वर्जित हैं उसे जायज एवं हलाल समझना, जैसे यह कहना कि ब्याज खाना हलाल है या यह कहना कि ज़िनाकारी हलाल है-

हदीसों में टकराव और उत्तर

बुख़ारी एवं मुसलिम शरीफ़ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल (दूत) स० ने इरशाद फरमाया है:

ما من عبد قال لا
اله الا الله ثم مات
على ذلك الا دخل
الجنة.

जिस व्यक्ति ने कलमा पढ़ा और इसी पर उसकी मृत्यु हुई तो वह व्यक्ति जन्नत (स्वर्ग) में दाखिल होगा-

और इसी अर्थ की एक हदीस मुसलिम शरीफ में यूँ है:

من شهد ان لا
اله الا الله وان
محمدا عبده ورسوله
حرم الله عليه
النار-

जिस व्यक्ति ने गवाही दी कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं और मुहम्मद स० अल्लाह के बन्दे (दास) एवं रसूल हैं तो अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया-

इन दोनों हदीसों और अन्य हदीसों के बीच देखने में टकराव नजर आता है

क्योंकि इनके अर्थ से यह प्रकट होता है कि मनुष्य के जन्नत (स्वर्ग) में प्रवेश करने और जहन्नम (नरक) की आग से छुटकारा पाने के लिये केवल जुबान से कलमा लाइलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफी है- जबकि दूसरी हदीसों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि- जहन्नम (नरक) से हर उस व्यक्ति को निकाला जायेगा जिसके हृदय में जौ के दाना के सम[illegible] भी- तथा उन के शरीर के उ[illegible] आँच नहीं लगेगी। जिन से वह [illegible] थे- यह इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि कुछ लोग पढ़ने के बावजूद जहन्नम (नरक) में डाले जायेंगे उनका केवल जुबानी

छकरार जहन्नम की आग से बचाव के लिये काफी न होगा -

तो इस विषय में सबसे अच्छी बात इमाम इब्ने तैमिया रहि० ने कही है जिस का खुलासा यह है : « यह हदीसें उन लोगों के सम्बंध में कही गई हैं जिन्हों ने दृढ़ विश्वास तथा हृदय की सत्यता से कलमा पढ़ा और उसी पर उनकी मृत्यु हुई अर्थात वह मरते समय तक इसी अक़ीदा (अहवाल) पर जमे रहे जैसा कि उनकी दूसरी हदीसों में इस का वर्णन स्पष्ट रूप से मौजूद है क्योंकि तौहीद (एकेश्वरवाद) की हकीकत ही यही है कि मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूप से अल्लाह को समर्पित कर दे -

रहीं वह हदीसें जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि कुछ लोग कलमा पढ़ने के बावजूद जहन्नम में डाले जायेंगे तो यह हदीसें उन लोगों के सम्बंध में हैं जिन्हों ने देखादेखी या आदत के अनुसार और रसम रिवाज के मुताबिक कलमा पढ़ भी परन्तु ईमान (विश्वास) उनके हृदय में नहीं उतरा. या मृत्यु के समय तक वह उस पर कायम नहीं रहे जैसा कि बहुतों का यही हाल होता है- चुनाँचि जो व्यक्ति [illegible] की सच्चाई तथा दृढ़ विश्वास के साथ कलमा पढ़ेगा और वह किसी पाप एवं अपराध को जान बूझ कर लगातार नहीं करेगा और उसका हृदय ईश्प्रेम से भरा होगा, न तो उसके दिल में किसी गलत

काम करने का इरादा पैदा हुआ और न ही उसने अल्लाह के किसी आदेश को नापसन्द किया तो ऐसा व्यक्ति जहन्नम (नरक) की आग पर अवश्य हराम होगा।

इमाम हसन बसरी से पूछा गया कि लोग कहते हैं कि लाइलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला जन्नत में अवश्य दाखिल होगा, तो उन्हों ने उत्तर दिया कि हाँ मगर जिसने इस के आधार और तक़ाज़े को पूरा किया।

इमाम वहब बिन मुनब्बिह से पूछा गया कि क्या लाइलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुन्जी नहीं है? तो उत्तर दिया क्यों नहीं अवश्य है लेकिन कुन्जी में दाँत होते हैं यदि तुम दाँत वाली कुन्जी

भाओगे तो उस से जन्नत का दरवाज़ा
खुलेगा, वरना नहीं -
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ
اجمعین وسلم تسلیما کثیرا -

شعبة الحاليات
(وزارة الشؤون الإسلامية مركز الدعوة بالرياض)
تليفون ٤١١٦٣٥٦ / ٠١ الرياض ١١١٣١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة
تليفون ٤٣٣٠٨٨٨ / ٠١ فاكس ٤٣٠١١٢٢ / ٠١
ص ب ٢٤٩٣٢ الرياض ١١٤٥٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالطحاء
تليفون ٤٠٣٠٢٥١ ٤٠٣٤٥١٧ / ٠١
فاكس ٤٠٣٠١٤٢ / ٠١
ص.ب ٢٠٨٢٤ الرياض ١١٤٦٥

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العليا والسليمانية
تليفون ٤٦٢٩٩٤٤ / ٠١
ص.ب ٦٣٩٤٤ الرياض ١١٥٢٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد العزيزية
تليفون ٤٩٥٥٥٥٥ / ٠١
ص.ب ٤٢٣٤٧ الرياض ١١٥٥١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الدوادمي
تليفون ٦٤٢٣٦٣٦ / ٠١
ص.ب ١٥٩ الدوادمي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخرج
تليفون ٥٤٤٠٦٦٢ / ٠١ فاكس ٥٤٨٠٩٨٣ / ٠١
ص ب ١٦٨ الخرج ١١٩٤٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الربوة
تليفون ٤٩٧٠١٢٦ / ٠١
ص ب ٢٩٤٦٥ الرياض ١١٤٥٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد رياض الخبراء
تليفون ٣٣٤١٧٥٧
ص.ب ١٦٦ القصيم رياض الخبراء

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمجمعة
تليفون ٤٣٢٣٩٤٩ / ٠٦
ص ب ١٠٢ المجمعة ١١٩٥٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة
تليفون ٤٩١٨٠٥١ فاكس ٤٩٧٠٥٦١
ص ب ٨٧٢٩٩ الرياض ١١٦٤٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالنسيم
تليفون ٢٣٢٨٢٢٦ / ٠١
ص.ب ٥١٥٨٤ الرياض ١١٥٥٣

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالزلفي
تليفون ٤٢٢٥٦٥٧ / ٠٦ فاكس ٤٢٢٤٢٣٤ / ٠٦
ص.ب ١٨٢ الزلفي ١١٩٣٢

مكتب توعية الجاليات بعنيزة
تليفون ٣٦٤٤٥٠٦ / ٠٦ ص.ب ٨٠٨

مركز توعية الجاليات بسريدة
تليفون ٣٢٤٨٩٨٠ / ٠٦ فاكس ٣٢٤٥٤١٤ / ٠٦
ص.ب ١٤٢

مكتب دعوة وتوعية الجاليات بالرس
تليفون ٣٣٣٣٨٧٠ / ٠٦ ص ب ٦٥٦

مكتب توعية الجاليات المذنب
تليفون ٣٤٢٠٨١٥ / ٠٦ فاكس ٣٤٢٠٨١٥ / ٠٦
القصيم - المذنب - ص.ب ٤٠٠

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشقراء
تليفون ٦٢٢٢٠٦١ / ٠١ ص.ب ٢٤٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء
تليفون ٥٨٧٤٦٦٤ ٥٨٦٦٦٧٢ / ٠٣
ص.ب ٢٠٢٢ الأحساء ٣١٩٨٢

مكتب توعية الجاليات بالخبر
تليفون ٨٩٨٧٤٤٤ / ٠٣ الدمام ٣١١٣١

المؤسسة الخيرية للدعوة بجدة
تليفون ٦٧٣١٧٥٤ ٦٧٣٠٤٣١ / ٠٢
فاكس ٦٧٣١١٤٧
ص ب ١٥٧٩٨ جدة ٢١٤٥٤

مكتب توعية الجاليات بحائل
تليفون ٥٣٣٤٧٤٨ / ٠٦ فاكس ٥٤٣٢٢١١ / ٠٦
ص ب ٢٨٤٣

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخوطة
تليفون ٥٥٥٠٥٩٠ / ٠١
خوطة بني تميم ص ب ٢٠٧

أهداف المكتب:

١ - التعاون مع الجهات الرسمية العاملة في مجال الدعوة لنشر العلم الشرعي وتبصير المسلمين بأمور دينهم.

٢ - دعوة غير المسلمين إلى الإسلام.

٣ - تعليم حديثي الإسلام أصول الدين.

طباعة الكتاب النافع والشريط المفيد من أقوى وسائل الدعوة إلى الله. فبادر أخي إلى الاشتراك في توفيرها لمن هو بحاجة اليها.

مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في النسيم
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
فرع أسواق الربوة
رقم الحساب - ٣٩٠٠

المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في النسيم
الرياض - حي المنار / مقابل العيادات الخارجية لمستشفى اليمامة
تحت اشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
هاتف وفاكس ٢٣٢٨٢٢٦-٠١ - ص.ب ٥١٥٨٤ الرياض ١١٥٥٣

مطبعة النرجس التجارية - ت: ٢٣١٦٦٥٣ فاكس ٢٣١٦٨٦٦